(1) शफीक यार आत्मज मुजीब

(2) श्रीमती मुनब्बर जहां

पत्नी शफीक यार

दोनो आयु वयस्क

दोनो निवासी–116, फिरदोस नगर

बैरसिया रोड़, भोपाल ... **निगरानीकर्तागण**

सुनील सिंह जादौन द्वारा आज दि. 29/5/15 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट 29-5-15 राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. रफीक हुसैन
2. मंसूर हुसैन
3. मशरूर हुसैन
4. मशफुर हुसैन

सुनील सिंह जादौन 29/5/15

क्रं. 01 लगायत 04

सभी आयु वयस्क

क्रं. 01 से 04 सभी आत्मज श्री

इक्तेदार हुसैन क्रं. 01 लगायत 04

सभी निवासी– लखेरापुरा भोपाल म0प्र0

5. तरन्नो पुत्री इफ्तेदार हुसैन

आयु वयस्क, निवासी–लखेरापुरा

भोपाल (म.प्र.)

6. महर्षि शिक्षा संस्थान

द्वारा अधिकृत प्रशासनिक अधिकारी

(विधि) श्री इन्द्रजीत दत्त आयु वयस्क

पुत्र श्री स्व. के. के. दत्त

निवासी– महर्षि शिक्षा संस्थान कैम्पस

ग्राम लांबाखेड़ा भोपाल ------ **उत्तरदातागण**

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959</u>

निरंतर 2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1231–पीबीआर / 15 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–7–2015	आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया व अधीक्षक, भू–प्रबंधन द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–05–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। आलोच्य आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर आवेदक का आवेदन आयुक्त के न्यायालयीन आदेश के परिप्रेक्ष्य में खारिज किया गया है तथा प्रकरण प्रचलन योग्य मानते हुये गुणदोष पर निर्णय किये जाने योग्य माना है तथा राजस्व निरीक्षक को फर्द बटवारा प्रस्तुत करने के आदेश दिये है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	